RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-03
March-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

महात्मा गॉधी एवं ग्रामीण परिवेश में शिक्षा का अधिकार कानून

[1]डॉ. रमेश पारीक, [2]डॉ. अनिल कुमार, [3]पूजा रानी

[1]प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र विभाग मेवाड़ विवि चित्तौड़गढ़
[2]प्राचार्य डाईट
[3]शोधार्थिनी शिक्षा शास्त्र विभाग मेवाड़ विवि चित्तौड़गढ़

किसी राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए उस राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और व्यक्तित्व में समाहित गुण के माध्यम से व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र उन्नतिशील बनता है। दूसरे अर्थों में कहें तो शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा राष्ट्र की उन्नति का आंकलन किया जा सकता है। शिक्षा को ग्रहण कर मनुष्य स्वयं उस समाज का उत्थान कर सकता है जिसका वह सदस्य है। साथ ही समाज के साथ सम्पूर्ण राष्ट्र का उत्थान तथा शिक्षा के माध्यम से जीविकोपार्जन करें। इसी में शिक्षा की सार्थकता है। इसी महत्व को स्वीकारते हुए भारत सरकार ने शिक्षा को तीव्र गति से बढ़ावा देने के उद्देश्य से सम्पूर्ण राष्ट्र में नवीन विद्यालयों की स्थापना के साथ–साथ शिक्षा ग्रहण करने के प्रति व्यापक अभियान चलाये जा रहे हैं। लेकिन शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य आज भी अधूरा है। इसके लिए कई आयोग, समिति, नई शिक्षा नीति 1986 का गठन किया लेकिन सार्थक परिणाम परिलक्षित नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। ग्रामीण शिक्षा की स्थिति दयनीय है क्योंकि सरकारी योजनाओं के परिणाम शहरों के साथ कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन देखने को मिलता है। इन्हीं केन्द्रों के आधार पर पूर्ण साक्षरता की बात कर दी जाती है, जबकि वास्तविक लक्ष्य बहुत दूर होता है। सम्पूर्ण भारत में 6,38,365 ग्राम हैं। इन ग्रामों में बहुत से ऐसे ग्राम हैं, जहां शिक्षा के बारे में जागरूकता नहीं है। ऐसे परिवेश में ग्रामीण जन जीविकोपार्जन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के लोग कठिन परिश्रम के अपने जीवन का निर्वाह करने को ही जीवन का मूल उद्देश्य मान लेते हैं और सम्पूर्ण जीवन गरीबी में कट जाता है।

भोधकत्री ए मेवाड़ वि वविद्यालय एगंगरार, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

शिक्षा के अभाव में सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती। साथ ही उनके विकास के लिए आवंटित धन का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है और गरीबी व लाचारी में ही जीवन व्यतीत हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं शिक्षा अधिकार एवं कानून ही विकल्प है।

शिक्षित भारत का सपना देश के करोड़ों बच्चों को 1 अप्रैल 2010 को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य तौर पर पाने के अधिकार मिलने से पूरा हो गया है। इस अधिकार को लागू करते समय प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने कहा कि शिक्षा बच्चों का हक है। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी हूँ, वो शिक्षा की बदौलत हूँ, मैं चाहता हूँ कि शिक्षा की रोशनी सभी के पास पहुँचे शिक्षा के अधिकार से भारत के 8 करोड़ से अधिक बच्चों को फायदा होने की उम्मीद है और यह प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि लोकतन्त्र में सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की दिशा में समाज के हर काल में इंसान के विकास का सबसे प्रभावी हथियार शिक्षा रही है।

शिक्षा के अधिकार कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

सन् 1936 में जब महात्मा गाँधी जी ने एक समान शिक्षा की बात उठायी थी, तब उन्हें भी लागत जैसे मुद्दे जो आज भी जीवित हैं, का सामना करना पड़ा था। संविधान ने इसे एक अस्पष्ट अवधारणा के रूप में छोड़ दिया था, जिसमें 14 साल तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की जवाबदेही राज्यों पर छोड़ दी गयी थी। संविधान के अनुच्छेद 45 में 0–14 उम्र के बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गई है। वर्ष 2002 में 86 वें संशोधन में शिक्षा के अधिकार की बात कही। वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून पास हो सका। गुरुवार 1 अप्रैल 2010 को इस कानून को लागू कर दिया गया।

शिक्षा का अधिकार कानून :

शिक्षा के अधिकार कानून के अन्तर्गत बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना कानूनी रूप से सरकार के लिए जरूरी हो गया है। इस कानून की विशेषताएँ निम्न हैं–

- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करना अनिवार्य ।
- इस कानून में स्कूलों में शिक्षक एवं छात्रों के अनुपात को सुधारने की बात कही गयी है। अभी बहुत से स्कूलों में सौ–सौ बच्चों पर एक ही शिक्षक है, लेकिन इस कानून में यह प्रावधान है कि एक शिक्षक पर 40

RRIJM 2015, All Rights Reserved

से अधिक छात्र नहीं होंगे, हालांकि यह कोठारी आयोग की अनुशंसा 1:30 से कम है।

- इस कानून के अनुसार राज्य सरकारों को बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए लाइब्रेरी, कक्षा–कक्ष, खेल का मैदान और अन्य जरूरी चीज उपलब्ध कराना होगा।
- 15 लाख नये शिक्षकों की भर्ती, जिन्हें 1 अक्टूबर तक प्रशिक्षित करना अनिवार्य है।
- स्कूल जन्म प्रमाण–पत्र एवं विद्यालय छोड़ने के प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकता।
- सत्र के दैरान कभी भी प्रवेश।
- निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीट गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होगी।
- गुणवत्ता समेत शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जायेगा।
- इसके अन्तर्गत एक स्कूल निगरानी समिति के गठन का प्रावधान है जो समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्कूल की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगा।
- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नौकरी में नहीं रखने का प्रावधान है।
- प्रत्येक इलाके में एक स्कूल का प्रावधान।
- विधेयक में शारीरिक दण्ड देने, बच्चों के निष्कासन पर रोक लगायी गयी है।
- जनगणना, चुनाव ड्यूटी और आपदा प्रबन्धन के अलावा शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों में तैनात करने पर रोक लगायी गयी है।
- विधेयक के प्रारूप में 3 साल के भीतर हर इलाके में प्रारिम्भक स्कूल खोले जाने का लक्ष्य है, हालाँकि स्कूल शब्द का अर्थ सभी आधारभूत संरचनाओं से युक्त स्कूल है।
- बच्चों को गुणवत्ता के मानदण्डों के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध कराना।

शिक्षा के अधिकार की खामियाँ :

शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत कुछ खामियाँ निम्न हैं –

1. इस कानून की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें 0 से 6 आयु वर्ग और 14 से 18 के आयु वर्ग के बीच के बच्चों की बात नहीं की गई है, जबकि संविधान के 45 वें अनुच्छेद में साफ शब्दों में कहा गया है कि संविधान के लागू होने के दस वर्ष के भीतर सरकार 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा देगी।
2. अन्तर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते के अनुसार 18 वर्ष तक की उम्र तक के बच्चों को बच्चा माना गया है, जिसे 142 देशों में स्वीकार किया गया है। भारत भी उनमें से एक है। ऐसे में 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा की बात इस कानून में नहीं की गई है।
3. वर्ष 2002 में हुए 86 वें संविधान संशोधन में भी शिक्षा के अधिकार की बात कही गई थी लेकिन सरकार द्वारा कानून 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया, इन 8 वर्षों में बच्चों की एक पीढ़ी इस अधिकार से बाहर हो गई।

मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार त्ज्म् का लागू होना भारत के बच्चों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि हरेक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो और इसे राज्य, परिवार एवं समुदाय की सहायता से पूरा करें। विश्व के कुछ ही देशों में मुफ्त एवं छात्र केन्द्रित मित्रवत शिक्षा दोनों को सुनिश्चित करने का राष्ट्रीय प्रावधान मौजूद है। यह विधेयक महत्वपूर्ण है, क्योंकि संवैधानिक संशोधन लागू करने में सरकार ने विशेष एवं सक्रिय भूमिका निभायी है। इस कानून के अन्तर्गत :

6 से 14 वर्ष के आयुवर्ग को चुनने का उद्देश्य :

विधेयक में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारम्भिक से माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा देने पर जोर दिया गया है, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने से उनके भविष्य का आधार तैयार हो सकेगा।

मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अर्थ :

विधेयक में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अपने पड़ौस के स्कूलों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। इसके लिए बच्चों या उनके अभिभावकों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष फीस या अप्रत्यक्ष मूल्य (यूनीफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, मध्यान्ह भोजन, परिवहन) नहीं लिया जायेगा। सरकार छात्र की प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक उसे निःशुल्क स्कूलिंग उपलबध करवायेगी।

शिक्षा का अधिकार ;RTE) को सुनिश्चित करने में समुदाय एवं अभिभावकों की भूमिका :

वर्ष 2009 में भारत में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 80 लाख थी, जो स्कूल नहीं जाते थे। विश्व, भारत के बगैर 2015 तक हरेक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी कराने के अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। स्कूल, स्थानीय अभिकरण, अधिकारियों, माता–पिता, अभिभावकों एवं शिक्षकों को मिलाकर स्कूल प्रबन्धन समितियाँ (SMC) बनायी जायेगी। ये समितियाँ स्कूल के विकास के लिए योजनाएं बनायेंगी और

RRIJM 2015, All Rights Reserved

सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का उपयोग करेगी तथा पूरे विद्यालय के वातावरण को नियन्त्रित करेंगी।

त्ज्म् में घोषित है कि SMC में वंचित समूहों से आने वाले बच्चों के माता–पिता एवं 50 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिएं। इस तरह के समुदायों की भागीदारी लड़कियों और लड़कों के लिए अलग–अलग शौचालय, सुविधाओं, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता जैसे मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान के जरिए पूरे स्कूल के वातावरण को बाल मित्रवत बनाने में महत्वपूर्ण होगी।

शिक्षा का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत स्कूलों में बाल मित्रवत वातावरण तैयार करने का तरीका :

सभी स्कूलों को सीखने के प्रभावकारी वातावरण के लिए बुनियादी ढाँचों और शिक्षक नियमों का पालन करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 60 बच्चों पर दो प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने चाहिए। शिक्षकों को नियमित एवं सही समय पर स्कूल आना चाहिए। पाठ्यक्रमों के निर्देशों को पूरा करना चाहिए। सीखने की क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। माता–पिता एवं शिक्षकों के बीच बैठकों को बढ़ाना चाहिए। राज्य बच्चों को पर्याप्त सहयोग सुनिश्चित करेगा। समुदाय और नागरिक समाज SMC के साथ निष्पक्ष तरीके से स्कूल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। राज्य नीति फ्रेमवर्क उपलब्ध करायेगा और प्रत्येक बच्चों के लिए त्ज्म् को सुनिश्चित करने का वातावरण बनायेगा।

शिक्षा का अधिकार ;RTE) के लिए वित्त व्यवस्था :

केन्द्र एवं राज्य सरकारें त्ज्म् के लिए वित्तीय उत्तरदायित्व का वहन करेंगी। केन्द्रीय सरकार व्यय का अनुमान बनायेगी। राज्य सरकारें उन खर्चों का एक प्रतिशत उपलब्ध करायेगी। केन्द्र सरकार त्ज्म् के प्रावधान को पूरा करने के सम्बन्ध में वित्तीय आयोग से राज्य को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का अनुरोध कर सकती है। राज्य सरकार पर बचे हुए अनुदान के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होगी तो उसे नागरिक समाज, विकास, एजेंसियों, कारपोरेट संस्थानों और देश के नागरिकों के समर्थन की आवश्यकता होगी।

शिक्षा का अधिकार ;RTE) को प्राप्त करने के लिए मुख्य मुद्दे एवं चुनौतियाँ :

- RTE आरक्षितों के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ बाल श्रमिक, प्रवासी बच्चों, विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसे किसी अन्य विशिष्टता वाले सभी बच्चों को एक मंच उपलब्ध करता है। RTE सीखने व सिखाने की गुणवत्ता पर केन्द्रित है।
- 10 लाख से अधिक नये और अप्रशिक्षित शिक्षकों को अगले 5 साल के भीतर प्रशिक्षित करना और सेवा दे रहे शिक्षकों को बाल मित्रवत शिक्षा सुनिश्चित करना।
- भारत में अनुमानित 19 करोड लड़कियों और लड़कों, जिन्हें प्राथमिक शिक्षा में होना चाहिए, सभी को बाल मित्रवत शिक्षा सुनिश्चित करना।
- निष्पक्षता से असमानता का उन्मूलन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
- प्री स्कूल में उद्देश्यों की प्राप्ति में निवेश।
- स्कूल से बाहर 80 लाख बच्चों को उनकी आयु के हिसाब से सही समय पर स्कूल में लाना और स्कूल में ठहराना तथा इन सफलताओं में लचीलेपन एवं अन्य तरीके से पहल करना एक अहम चुनौती है।

शिक्षा का अधिकार ;RTE) का उल्लंघन होने पर :

बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग इस कानून के तहत उपलब्ध कराये गये अधिकारों के लिए निगरानी, निर्देशों की समीक्षा, शिकायतों की जाँच पड़ताल करेगा और उसके पास नागरिक अदालत में जाने का विकल्प मौजूद होगा। राज्यों को बचचों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य आयोग (SCPCR) या शिक्षा के अधिकार का संरक्षण प्राधिकरण (REPA - Right to Eduacion Protection Act) गठित करना होगा। किसी भी व्यक्ति को यदि कोई शिकायत दर्ज करनी है तो स्थानीय प्राधिकरण को लिखित शिकायत सौंपनी होगी। SCPCR (State Council for Protection of Child Right)/REPA द्वारा याचिका पर निर्णय लिया जायेगा। दंडित करने के लिए सरकार द्वारा मान्य किसी अधिकारी की मंजूरी आवश्यक होगी।

निःशुल्क एंव अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों पर नजर रखने के लिए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग (SCPCR- State Council for Protection of Child Right) को एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। NCPCR ने शिक्षा के अधिकार के समुचित कार्यान्वयन के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी एवं शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ काम करने वाले और अनुभवी व्यक्ति शामिल हैं।

NCPCR के अन्दर एक अलग विभाग स्थापित किया जायेगा। यह संभाग दो आयुक्तों द्वारा समन्वित किया जायेगा और गतिविधियों में स्वतन्त्र कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी। इसे MHRD द्वारा सहायता प्राप्त होगी। अधिक से अधिक समन्वय और तालमेल के लिए RTE से प्रभावित होने वाले अन्य मंत्रालयों जैसे – सामाजिक न्याय और अधिकारिता,

RRIJM 2015, All Rights Reserved

श्रम मंत्रालय, पंचायती राज ग्राम मंत्रालय, आदिवासी मामूलों के मंत्रालय इत्यादि से सहयोग लिया जायेगा। क्योंकि त्ज्म् से बच्चों के लाभान्वित होने के लिए महत्वपूर्ण है कि NCPCR और इन मंत्रालयों के बीच आसान समन्वय एवं संचार हो।

शिक्षा का अधिकार ;RTE) को प्राप्त करने में यूनिसेफ की भूमिका :

असमानताओं को दूर करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार समाज, शिक्षक संगठनों, मीडिया और प्रतिष्ठित लोगों से प्रासांगिक भागीदारों के साथ लाने में यूनिसेफ निर्णायक भूमिका अदा करेगा। यूनिसेफ भागीदारों को संगठित कर जन जागरूकता को बढ़ाएगा और आह्वान की कार्यवाही करेगा। नीति और कार्यक्रम निर्माण/क्रियान्वयन पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बेहतर बनाने पर केन्द्रित करेगा, जो बच्चों के लिए परिणामों को सुधारने के कारगर तरीकों पर आधारित होगा। RTE पर राष्ट्रीय स्तरीय और राज्य स्तरीय निगरानी इकाईयों को सुदृढ़ बनाने में यूनिसेफ भागीदारों के साथ मिलकर काम करेगा।

इस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार ;RTE) के बेहतर कार्यान्वयन और निगरानी के लिए देश में अधिक से अधिक जागरूकता की आवश्यकता है, ताकि त्ज्म् के प्रावधानों को समझा जाये एवं सभी संस्थाओं द्वारा शामिल किया जाये। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान शुरु करना होगा, जिसमें अधिनियम का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद, डभ्त्क एवं अन्य एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से करना होगा। छब्ब्ब् द्वारा अभियान शुरु कर दिया गया है, छब्ब्ब् बच्चों के लिए विशेष सामग्री डिजाइन कर रहा है, ताकि बच्चे इस अधिनियम को समझ सकें, क्योंकि केवल और केवल शिक्षित बालक ही एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश का भविष्य संवार सकता है।

संदर्भ सूची

1- श्री कृष्ण कुमार त्रिवेदी – गॉधी जी का गॉवो पर प्रभाव, पृ0–80 पांडुलिपि, ई–11/एस, कृष्णनगर, दिल्ली

2- डॉ रामशक्ल पाण्डेय – शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, पृ0–13

3- आजाद एम0 ए0 के0 – दी फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन इण्डिया, प्रकाशन विभाग

4- राठौर कुसुम लता – शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षा दार्शनिकों के विचार, अनु प्रकाशन, मेरठ पृ0–34

5- अग्रवाल, एस0 के0 – शिक्षा के तात्विक सिद्वान्त, राजेश पब्लिशिंग हाउस,मेरठ –2017, पृ0–238

6- शिक्षा का अधिकार कानून 2009

7- राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1986 शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली

RRIJM 2015, All Rights Reserved